न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

छोटा बनाम जयप्रकाश आदि

प्रकीर्णवाद सं0-424/2019

CNR N.-UPCH04006679-2019

धारा- 156(3) दं0 प्र 0 सं0

थाना-रैपुरा, जनपद चित्रकूट

01.03.2021

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 प्रस्तुत कर विपक्षीगण जयप्रकाश भारतीय, फुलिया देवी, राजकुमार व खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी से विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी ग्राम लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट का रहने वाला है तथा विपक्षीगण भी प्रार्थी के ही गांव के निवासी है। विपक्षी नं०-1 प्रार्थी के गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में तैनात है। उक्त चारों लोग मिलकर गांव सभा में आय बजट का बंदर बांट करके शासन को हानी पहुँचाते है और आपस में चारों मिलकर दुरूपयोग करते है। प्रार्थी ने कई बार इन लोगों से अपने गांव में हुए कार्यों के संबंध में जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाये मांगी, परन्तु कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी और प्रार्थी को सूचना न लेने हेतु धमकी दी गयी। काफी प्रयास के बाद एक चिट्ठी दिनांक 01.08.2019 इस आशय की भेजी गयी कि तीन हजार रूपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा करे जिसके फलस्वरूप प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के खाते में तीन हजार रूपये इलाहाबाद बैंक शाखा रामनगर में दिनांक 26.07.2019 को जमा कर दिया, परन्तु उसके बावजूद आज तक कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी। जब प्रार्थी को सूचनाये नहीं प्रदान की गयी तो प्रार्थी ने जिला पंचायत राज अधिकारी व जिलाधिकारी महोदय के यहां शिकायत की तो इन लोगों के द्वारा प्रार्थी को आधी अधूरी सूचना भेजी गयी और दिनांक 26.08.2019 को उपरोक्त चारों लोग सुबह करीब 09 बजे प्रार्थी के घर एक राय होकर आये, उस समय प्रार्थी घर में घर में अकेला था। घर में घुसकर सभी लोग प्रार्थी को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे और उसे लात-घूसों से मारने-पीटने लगे। उसका

शोरगुल सुनकर आस-पडोस के तमाम लोग आ गये तो सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए तथा सूचना के बारे में भूल जाने की धमकी देते हुए चले गये और कहा कि हम सरकारी कर्मचारी है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विपक्षीगण द्वारा शासन की योजनाओं में पानी फेरते हुए स्वयं को लाभ पहुँचाने के लिए शासन द्वारा गांव के विकास हेतु भेजे गये धन को हड़प लिया है और आम जन मानस को हानि पहुचाई और इस कृत्य से बचने के लिए फर्जी कागजात भी तैयार किया है। उक्त घटना की सूचना/रिपोर्ट संबंधित थाने में की गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके द्वारा उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को जरिये पंजीकृत डाक दी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कराकर मामले की विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, रजिस्ट्री रसीद, खण्डि विकास अधिकारी/जनसूचना अधिकारी को लिखे गये पत्र की छायाप्रति, विकास खण्ड रामनगर को लिखे गये पत्र की छायाप्रति, जमा/भुगतान पर्ची, जिलाधिकारी को लिखे गये पत्र दिनांकित 01.08.2019 की छायाप्रति, जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखे गये पत्र दिनांकित 01.08.2019 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

उपनिरीक्षक रैपुरा द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.09.2020 के अनपालन में अपनी प्रारम्भिक जाँच आख्या दिनांकित 27.01.2020 प्रस्तुत की गयी है जिसका अवलोकन किया गया है जिसमें परिवादी के बयान एवं विपक्षीगण के बयान अंकित किये गये है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण के संबंध में संबंधित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित किए गए है, आवेदक/प्रार्थी की पूर्ण जानकारी में है, जिसे वह साक्ष्य से साबित कर सकता है। विवेचना से प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संकलित होने की किसी तरह से संभावना नहीं है। प्रार्थी अपने प्रति किए गए कृत्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत

कर सकता है। मामला इस प्रकृति का है कि विवेचना से कोई भी नया तथ्य प्रकाश में आने की संभावना नहीं है। ऐसी दशा में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा **"सुखबासी बनाम उ 0 प्र 0 राज्य इलाहाबाद क्रिमिनल केसेज ए 0 सी0 सी0(59) 2007 पेज 739** "पर दी गई विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायहित में समीचीन है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) परिवाद केस के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते परिवादी बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 31.05.2021 को पेश हो।

सी0 जे0 एम 0
चित्रकूट।
J.O.Code-UP02058

Digitally signed by Namrata Sharma
Date: 2021.03.01 16:23:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court